

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रामसर का कुंआ

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गेनाराम पुत्र लाखाराम 2. गंगाराम  
पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी  
रामसर का कुंआ (बेरीवाला तला)  
तहसील व जिला बाड़मेर

1. गोमाराम पुत्र फुसाराम 2 सरूपाराम पुत्र  
फुसाराम 3 पुरखाराम पुत्र रामाराम 4 जेतीदेवी  
पत्नी रामाराम 5 खियाराम पुत्र खुमाराम 6  
गजेन्द्र कुमार पुत्र पदमाराम 7 मुलाराम पुत्र  
पदमाराम 8 दुर्गाराम पुत्र पदमाराम 9 ईश्वरलाल  
पुत्र हिमथाराम 10 बाबुलाल पुत्र हिमथाराम 11  
मोहनलाल पुत्र हिमथाराम 12 मोटाराम पुत्र  
हिमथाराम 13 लाभुराम पुत्र हिमथाराम 14  
चैराराम पुत्र हैराजाराम 15 प्रहलादराम पुत्र  
हेराजाराम 16 जालाराम पुत्र हेराजाराम 17  
खेताराम पुत्र हेराजाराम 18 आसीदेवी पत्नी  
हेराजाराम 19 लाघाराम पुत्र कुम्माराम 20  
दुर्गाराम पुत्र गिरधारीराम 21 मुलाराम पुत्र  
नारायणदास 22 बांकराज पुत्र नारायणदास 23  
पन्नीदेवी पत्नी नारायणदास 24 जोगाराम पुत्र  
ताजाराम 25 मानवेन्द्र पुत्र ताजाराम 26 मुराराम  
पुत्र ताजाराम 27 मामादेवी पत्नी ताजाराम 28  
हरखुदेवी पत्नी दोलाराम 29 तेजाराम पुत्र  
दोलाराम 30 भवेन्द्र पुत्र पोकर 31 देवी पत्नी  
पोकर जातियान जाट निवासीयान रामसर का  
कुंआ 32 जैसाराम पुत्र गिरधारीराम 33 मुलीदेवी  
पत्नी पुनमाराम 34 देवी देवी पत्नी रणछोड़ 35  
रमेश कुमार पुत्र रणछोड़ 36 विधा कुमारी पुत्री  
रणछोड़ 37 दिलीप कुमार पुत्र रणछोड़ 38  
हरीश पुत्र रणछोड़ 39 रितिका पुत्र रणछोड़  
प्रार्थीगण 35 से 39 के जरिये माता देवी देवी  
पत्नी रणछोड़ जातियान जाट निवासीयान  
पश्चिम रावतसर तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-65/2021 दिनांक-17.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामसर का कुंआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील एवं  
जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 789/1517 रकबा 12.11 बीघा, खसरा नंबर 987/793  
रकबा 35.11 बीघा, 48.02 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए  
एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी  
नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर)  
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/-  
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर  
अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6340-6351

दिनांक- 17/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय  
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गेनाराम पुत्र लाखाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ (बेरीवाला तला)  
तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण गोमाराम पुत्र फुसाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ (बेरीवाला  
तला), पश्चिम रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर